135/2021/1/123946/2021-71-2002/1/2021

प्रेषक,

अनिल कुमार
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक
सी0बी0एम0आर0,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ:दिनांक 21 दिसम्बर, 2021

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में संस्थान के गैर वेतन मद में अवशेष चतुर्थ किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-सीबीएमआर/ एफ एण्ड ओ/2021-22/795 दिनांक 23 नवम्बर, 2021 का कृपया सन्दर्भ् ग्रहण करें, जिसके द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में संस्थान के गैर वेतन मद में आवंटित धनराशि के सापेक्ष अवशेष चतुर्थ किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने की अपेक्षा की गयी है। संस्थान के अन्य आवश्यक व्ययों के वहन हेतु गैर वेतन मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष शासनादेश दिनांक 08 अप्रैल, 2021, 25 जून, 2021 एवं दिनांक 30 अक्टूबर, 2021 द्वारा प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय किश्त के रूप में कुल रू0 384.99 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत राजस्व पक्ष में लेखा शीर्ष-2210-05-105-03-0312- सेण्टर ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च, लखनऊ-20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष चतुर्थ किश्त के रूप में 128.33 लाख (रूपये एक करोड़ अठ्ठाइस लाख तैतीस हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त करते हुए निदेशक, सी0बी0एम0आर0 के निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो/ प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

1- स्वीकृत धनराशि का उपयोग निर्धारित मदों में सुसंगत नियमों के अधीन किया जाएगा।
2- स्वीकृत धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार किया जाएगा तथा इसे आहरित कर डाकघर/बैंक में नहीं रखी जायेगी।
3- स्वीकृत धनराशि का व्यय नियमानुसार किया जाएगा तथा उसका उपयोग उसी मद में किया जायेगा, जिसके लिए यह धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जाएगी।
4- संस्था के निदेशक एवं संबंधित वित्त अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि विगत वर्ष की कोई अप्रयुक्त धनराशि अवशेष है तो उसका समायोजन किया जा चुका है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22.03.2021 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6- स्वीकृत धनराशि का व्यय विवरण निर्धारित प्रारूपपर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा, इसके अभाव में अनुदान की आगामी किश्त निर्गत किया जाना सम्भव नहीं होगा।

3- धनराशि को कोषागार से संस्थान के वित्त नियंत्रक द्वारा आहरित किया जायेगा तथा बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगें।

4- प्रश्नगत अवमुक्त धनराशि रू0 128.33 लाख वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या-031-चिकित्सा विभाग(चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के लेखाशीर्ष-"2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 05-चिकित्सा शिक्षा- प्रशिक्षण तथा अनुसंधान- 105- एलापैथी, 03-शिक्षा- 0312-सेण्टर ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च, लखनऊ-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- ई-3-554/दस-2021, दिनांक 15 दिसम्बर, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(अनिल कुमार)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव ।

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3. मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रट, लखनऊ ।
4. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. नोडल अधिकारी, बजट आवंटन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0शासन।
6. वित्त नियंत्रक, सी0बी0एम0आर0, लखनऊ।
7. वित्त ई-3/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।